

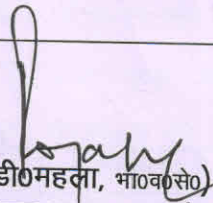
भाग - III

संबंधित मुख्य वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) ? यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
2	क्या संबंधित मुख्य वन संरक्षक भाग 'ख' दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	परियोजना प्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, म0 प्र0 अर्बन डेवलपमेन्ट कम्पनी लि0, पी0आई0यू0 जबलपुर द्वारा म0प्र0 शहरी सेवा उन्नयन कार्यक्रम (एम.पी.यू.एस.आई.पी.) के तहत पेकेज क्रमांक 5 बी के 07 शहरों के समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत कटंगी से मझोली तक सड़क के किनारे पाईप लाईन बिछाने से ग्रामीणों को पीने का पानी आदि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा पानी की आपूर्ति होगी। अतः वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर उक्त कार्य हेतु सिहोरा परिक्षेत्र के कक्ष ओ-390 का 0.24 हे0 वन भूमि आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :- /01/2021

स्थान :- जबलपुर


 (आर0डी0महला, भा0ब0से0)
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 एवं पदेन वन संरक्षक
 मध्यवृत्त जबलपुर

dc